

## ग्रामीण सेवा शिविर-2025

पृष्ठ-1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्ध जिला राजसमन्ध  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प फोर्ट) कैम्प

- आदेश -

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी गिलुण्ड  
व भूअनि गिलुण्ड की रिपोर्ट तथा तहसीलदार गिलुण्ड / नायब  
तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुरारण में ग्राम गिलुण्ड तहसील 22 अगारा व  
जिला राजसमन्ध की जमावन्दी संवत् 2023 में खाता संख्या 1685 में  
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाती है)
1.	गिलुण्ड	1685	अंबरकंवर पत्नि स्व. मन्जींदर सिंह (स. बी. बी. जे. शारवा गिलुण्ड)	अंबरकंवर पत्नि स्व. मन्जींदर सिंह (स. बी. आई. शारवा गिलुण्ड)

6/   
 पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर \_\_\_\_\_

क्रमांक - 268  
प्रतिलिपि -

दिनांक :- 9/10/25

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री को सूचनाार्थ।
3. शक्ति पत्रावली।

6/   
 पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर \_\_\_\_\_